



Case No. 60/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3698/JH/90/2024-ESDW-RU-IV

श्री मंजुनाथ भजंत्री

उपायुक्त,

जिला - रांची

उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन,

रांची, झारखंड 834001

Email Id: dc-ran@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 07/07/2025 को 12:20 P.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ:-

संदर्भ 1 (i) आदिवासी जमीन पर दखल दिलाने के संबंध में - श्रीमती नूतन पहान पति श्री रामचरण पहान, ग्राम-हरातु पोस्ट व थाना-टाटी सिलवे, जिला-रांची (झारखंड) का आयोग में प्राप्त दिनांक 25.10.2024 का पत्र/अभ्यावेदन।

(ii) NCST Sitting notice dated 20.05.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes

Government of India

Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर



COPY to:- NIC for uploading